छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर न्यायधीश

दा०अ० क्र०. 1080/2007

भवानी शवारा

बनाम

छ.ग राज्य

आदेश हेतु विचारार्थ

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 18/07/2012 को सूचीबद्ध किया जाय|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

<u>दा०अ० क्र०. 1080/2007</u>

अपीलार्थी :	**भवानी शवारा**
प्रत्यर्थी :	**छत्तीसगढ़ राज्य**

श्री अरुण कोचर अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से |

श्री वैभव गोवर्धन पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से |

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय दिनांक 18/07/2012

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 117/2007 में दिनांक 27.10.2007 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया तथा 500/- रुपये के जुर्माना से भी दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने की दशा में उसे अतिरिक्त तीन माह का कठोर कारावास भुगतना हिगा।

2. वर्तमान प्रकरण में घटना की तिथि पर अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (अभी.सा.-6) की आयु लगभग 19 वर्ष थी। अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 14.03.2007 को उसने एक लिखित प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-5) प्रस्तुत की, जिसमें

आरोप लगाया कि घटना की तिथि से लगभग एक वर्ष पूर्व अपीलार्थी ने उससे विवाह का प्रलोभन देकर उसे अपने प्रभाव में लिया और तब से वह उसके साथ बार-बार लैंगिक सम्भोग करता रहा, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। लगभग दो माह का गर्भ होने पर उसके माता-पिता ने उसका विवाह किसी अन्य स्थान पर कर दिया, परन्तु जब उसके पति को उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई, तब उसने उसे उसके मायके छोड़ दिया। इसके पश्चात अभियोक्त्री ने अपनी गर्भावस्था के संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया की वह उसके संबंध के कारण गर्भवती हुई, किन्तु उसने विवाह के विषय में टालमटोल करते हुए उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाए रखे। अंततः अपीलार्थी ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी। उक्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 16.03.2007 को धारा 376 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत (प्रथम सुचना शिकायत प्रदर्श. पी-6) पंजीबद्ध किया गया। अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 16.03.2007 को (प्रदर्श.पी-4) के माध्यम से किया गया तथा विवेचना उपरांत दिनांक 12.05.2007 को पुलिस द्वारा अभिओग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने प्रकरण के समर्थन में अभियोजन ने कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 506 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, परन्तु धारा 376(1) भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध कर उसे इस निर्णय के कंडिका-1 में वर्णित दण्ड से दण्डित किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का निवेदन है कि यह प्रकरण झूठे फ़साये जाने का है और किसी भी स्थिति में सहमति का स्पष्ट मामला है, जिसमें अभियोक्त्री ने स्वयं अपीलार्थी के साथ लैंगिक सम्भोग की सहमती प्रदान की थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री के कथनों से यह स्पष्ट है कि उसने कभी भी अभियुक्त के कृत्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने अभियोजन साक्ष्य के कंडिका-10 का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियोक्त्री ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसने अभियुक्त के कृत्य का प्रतिरोध किया हो, जबकि यह संबंध एक वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा और इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि वह सहमति से संबंध बना रही थी। उन्होंने आगे कहा कि साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि घटना के समय अभियोक्त्री बालिग थी तथा उसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि बच्चे को जन्म देने के पश्चात भी अभियुक्त एवं अभियोक्त्री के बीच लैंगिक सम्भोग बने रहे, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि वह सहमति से संबंध बना रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि अभियोक्त्री को अभियुक्त से गर्भवती होने की जानकारी थी, फिर भी उसने बुधवार सिंह (अभी.सा.-14) से विवाह कर लिया और जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया, तब भी अभियुक्त के साथ उसके लैंगिक सम्भोग समाप्त नहीं हुए, बल्कि गर्भावस्था के दौरान भी जारी रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अपनी साक्ष्य के कंडिका-2 में अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि बच्चे के जन्म के बाद भी अभियुक्त उसके घर आता था और उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाता था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि शिकायत पंजीबद्ध कराने में अभियोक्त्री की ओर से अत्यधिक विलंब हुआ है और इस विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ***प्रदीप कुमार वर्मा v. बिहार राज्य, 2007 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 5532 में प्रकाशित तथा जमनालाल उर्फ़ चिमन धीमर v. म.प्र***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राज्य., 2002 (2) एम.पी.एल.जे 169 में प्रकाशित निर्णयों का अवलम्ब लिया। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय के निर्णय दांडिक अपील क्र 36/2009 (प्रदीप मंडावी v. छ.ग राज्य) तथा दांडिक अपील क्र 07/2007 (आनंद प्रकाश मिश्र v. छ.ग राज्य) में पारित निर्णयों का अवलंब लिया|

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने विवाह का आश्वासन देकर दुवर्यपदेशन तथ्य से अभियोक्त्री की सहमति प्राप्त की थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिस प्रकार अभियोक्त्री के साथ गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के पश्चात भी बलात्कार किया गया, उस परिस्थिति में अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायत पंजीबद्ध कराने में लगभग एक वर्ष की देरी मुख्यतः इस कारण हुई कि अभियोक्त्री एक गरीब एवं ग्रामीण महिला थी और संभवतः उसे विधिक जटिलताओं की जानकारी नहीं थी। अपने तर्क के समर्थन में प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा ***येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 11 एस.सी.सी 615*** में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया |

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. अभियोक्त्री (अभी.सा.-6) ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसकी कथन अभिकिखित किए जाने से लगभग एक वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी। उसके अनुसार, वह अपीलार्थी के घर में मजदूर के रूप में कार्य करती थी और एक दिन जब वह अपने घर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में अकेली थी, तब अपीलार्थी वहाँ आया, उसका हाथ पकड़ लिया और यह कहते हुए कि वह उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाएगा, उसे एक कमरे में ले गया तथा उसके तथा अपने कपड़े उतारकर उसके साथ लैंगिक सम्भोग किया, जो बाद में लगभग 8-10 बार और भी हुआ। इस साक्षी के अनुसार अपीलार्थी उससे विवाह करने का वादा करता रहा और वह भी इसके लिए सहमत थी। चूँकि अपीलार्थी ने उसे मारपीट की धमकी दी थी, इसलिए उसने इस घटना के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताया और अपीलार्थी द्वारा 8-10 बार लैंगिक सम्भोग किए जाने के परिणामस्वरूप वह तीन माह की गर्भवती हो गई। इसके बाद विवाह होने पर वह अपने ससुराल चली गई और वहाँ से लौटने पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि वह अपीलार्थी के कारण तीन माह की गर्भवती है। उसने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित किया था, जिस पर उसने कहा कि यदि उसका पति उसे अपने साथ नहीं रखेगा तो वह उसे अपने पास रखेगा। अभियोक्त्री के अनुसार, गर्भवती हो जाने के बाद भी अपीलार्थी उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाता रहा। तत्पश्चात इस साक्षी ने एक कन्या शिशु को जन्म दिया, परन्तु उसके बाद भी अपीलार्थी उसके घर आता रहा और उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाता रहा। बच्चे के जन्म के लगभग पाँच-छः माह बाद गाँव में पंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया तथा उसे यह कहा गया कि वह वहाँ चली जाए जहाँ से वह गर्भवती हुई थी। तब वह अपीलार्थी के घर गई, किन्तु उसने तथा उसके माता-पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके पश्चात उसने लिखित शिकायत प्रदर्श पी-5 प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्रथम सुचना शिकायत प्रदर्श पी-6 पंजीबद्ध की गई तथा उसकी सहमति से उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसकी शिकायत प्रदर्श पी-7 है। प्रति परिक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि वह बलात्कार की पहली घटना की तिथि, दिन तथा वर्ष नहीं बता सकती। उसके अनुसार पहली घटना के बाद अपीलार्थी द्वारा उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साथ 8-10 बार बलात्कार किया गया, किन्तु वह उनकी तिथि, दिन एवं वर्ष भी नहीं बता सकी। उसके अनुसार जब पहली बार अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया तब उसने इस संबंध में अपने माता-पिता सहित किसी को भी नहीं बताया और बलात्कार के दौरान उसने कोई शोर-शराबा नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी ने उसका मुँह दबा दिया था। उसने यह स्वीकार किया है कि उसका मुँह दबाने संबंधी कथन पहली बार न्यायालय में दिया गया है। उसने यह भी कहा कि लिखित शिकायत प्रदर्श पी-5 देते समय उसने पुलिस को अपने तीन माह के गर्भवती होने की जानकारी दी थी, परंतु यदि वह तथ्य उसमें उल्लेखित नहीं है तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। विवाह के पश्चात यह साक्षी 2-3 बार अपने मायके गई, किन्तु उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में किसी को नहीं बताया और न ही कोई शिकायत पंजीबद्ध कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके अनुसार गर्भवती होने से पूर्व भी उसने इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। अपने कथन के कंडिका 13 में इस साक्षी ने कहा है कि जब उसने अपने पति को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, तब उसने उसे छोड़ दिया। उसने यह भी कहा है कि बच्चे के जन्म के बाद उसने अपनी माँ को अपीलार्थी के साथ अपने शारीरिक संबंधों के बारे में बताया। उसके अनुसार लिखित शिकायत देते समय उसका बच्चा लगभग छह माह का था।

डॉ. आर.एल. ठाकुर (अभी.सा.-1) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपने शिकायत प्रदर्श पी-1 में यह उल्लेख किया कि वह लैंगिक सम्भोग करने में सक्षम है। भुनेश्वर (अभी.सा.-2) – जो पंचायत बैठक के साक्षी हैं, उन्होंने कहा कि पंचायत में अभियोक्त्री के पिता ने स्वीकार किया था कि वह विवाह से पूर्व गर्भवती थी। इस साक्षी के अनुसार स्वयं अभियोक्त्री ने भी पंचायत बैठक में यह कहा था कि वह वर्तमान अपीलार्थी से गर्भवती हुई थी। चतुर सिंह गोंड (अभी.सा.-3), कनवल सिंह (अभी.सा.-4) तथा दुखुराम सिदार (अभी.सा.-10) भी

पंचायत बैठक के साक्षी हैं, जिन्होंने कहा कि पंचायत में अभियोक्त्री ने यह बताया था कि वह अपीलार्थी के कारण गर्भवती हुई थी। डॉ. श्रीमती सी.के. सिंह (अभी.सा.-5) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपने शिकायत प्रदर्श पी-4 में उल्लेख किया कि वह लैंगिक सम्भोग की अभ्यस्त थी तथा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। श्रीमती रूप कुंवर (अभी.सा.-7) – जो अभियोक्त्री की चचेरी बहन हैं – ने कहा कि विवाह के बाद अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ लैंगिक सम्भोग किए गए थे और विवाह के बाद उसके यहाँ एक कन्या का जन्म भी हुआ, जिसके बाद गाँव में पंचायत की बैठक बुलाई गई। बृन्दा बाई (अभी.सा.-8) – जो अभियोक्त्री की माता हैं – ने कहा कि विवाह के बाद अभियोक्त्री ने उन्हें बताया था कि वह अपीलार्थी के कारण गर्भवती हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं :—

(i) कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री (अभी.सा.-6) बालिग थी तथा उसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी।

(ii) कि प्रथम बार उसके साथ अपीलार्थी द्वारा मार्च, 2006 के आसपास बलात्कार किया गया था।

(iii) कि मई, 2006 माह में अभियोक्त्री को अपनी गर्भावस्था की जानकारी हुई तथा उसी वर्ष उसका विवाह बुधवार सिंह (अभी.सा.-14) के साथ संपन्न हुआ।

(iv) कि विवाह के पश्चात अभियोक्त्री को उसके पति (अभी.सा.-14) ने छोड़ दिया और वह पुनः अपने माता-पिता के साथ रहने लगी।

(v) कि गर्भावस्था के दौरान तथा एक कन्या के जन्म के पश्चात भी अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ लैंगिक सम्भोग बनाती रही।

(vi) कि अंततः दिनांक 14.03.2007 को इस प्रकरण की शिकायत पुलिस में की।

10. अतः न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री द्वारा दिए गए कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह अपीलार्थी के साथ लैंगिक सम्भोग करने के लिए सहमति देने वाली पक्षकार थी तथा लैंगिक सम्भोग के समय उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। दूसरे, अभियोक्त्री को इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देने अथवा पुलिस में शिकायत करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त थे। यहाँ तक कि जब उसे अपनी गर्भावस्था के विषय में जानकारी हुई तब भी उसने इस संबंध में कोई शिकायत पंजीबद्ध नहीं कराई और तत्काल शिकायत करने के स्थान पर उसने बुधवार सिंह (अभी.सा.-14) से विवाह करना अधिक उपयुक्त समझा। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि विवाह के पश्चात भी अभियोक्त्री गर्भावस्था के दौरान तथा एक बच्ची के जन्म के पश्चात भी अपीलार्थी को अपने साथ लैंगिक सम्भोग करने की अनुमति देती रही। अतः अपीलार्थी एवं अभियोक्त्री के बीच निरंतर शारीरिक संबंधों से जो एकमात्र निष्कर्ष निकलता है, वह यही है कि यह संबंध सहमति से स्थापित किए गए थे, अन्यथा नहीं। राज्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा **येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** के प्रकरण में उद्धृत निर्णय भिन्न तथ्यों पर आधारित है, अतः वह इस प्रकरण में अभियोजन के लिए किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता। उस प्रकरण में तथ्य यह था कि अभियुक्त नियमित रूप से दिन के समय अभियोक्त्री के घर जाता था और लगातार उससे लैंगिक सम्भोग बनाने की अनुमति माँगता था, किन्तु अभियोक्त्री उसे निरंतर मना करती रही। तत्पश्चात एक दिन जब अभियोक्त्री अपनी बहन के घर निवास कर रही थी, तब अभियुक्त वहाँ आया और कमरे का दरवाजा बंद कर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक लैंगिक सम्भोग स्थापित किया और उसके पश्चात पुनः उसके साथ संबंध बनाता रहा। किन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त द्वारा पहले की भाँति निरंतर आग्रह या दबाव डाला गया हो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अथवा अभियोक्त्री द्वारा उसका विरोध किया गया हो। इसके विपरीत, अभियोक्त्री के स्वयं के कथन के अनुसार, पहली घटना के पश्चात उसने लगभग 8-10 अवसरों पर अपीलार्थी के साथ लैंगिक सम्भोग स्थापित किए और न तो कोई प्रतिरोध किया और न ही किसी को इसकी जानकारी दी। **येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (उपरोक्त)** के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किये है कि यदि कोई पूर्णतः व्यस्क युवती विवाह के वचन के आधार पर स्वेच्छा से लैंगिक सम्भोग के लिए सहमति देती है और गर्भवती होने तक ऐसा करती रहती है, तो ऐसे कृत्य को उसकी ओर से दुराचार अथवा अनैतिक आचरण माना जा सकता है, न की तथ्यों के दुवर्यपदेशन द्वारा उत्प्रेरित कृत्य; और ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 का सहारा तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि प्रारंभ से ही कि अभियुक्त का अभियोक्त्री से विवाह करने का कोई आशय नहीं था। अतः यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर निर्भर करता है कि किसी मामले में क्या निष्कर्ष निकाला जाना उचित है। यह भी देखा गया है कि यदि कोई पूर्णतः वयस्क महिला अपनी सहमति देती है तो परिस्थिति भिन्न होती है, परंतु यदि लड़की की आयु बहुत कम हो और वह कई महीनों तक समझाने-बुझाने के बाद इस आश्वासन पर सहमति देती है कि अभियुक्त उससे विवाह करेगा, जबकि प्रारंभ से ही उसका ऐसा करने का कोई आशय न हो, तो अभियुक्त के आचरण से यह स्पष्ट होने पर हमारे मत में धारा 90 लागू की जा सकती है। यह भी अवधारित किया गया है कि किसी मामले में दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। अभिकथन का मूल्यांकन करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि लड़की की आयु क्या थी, उसकी शिक्षा का स्तर क्या था, समाज में उसका पारिवारिक एवं सामाजिक दर्जा क्या था, तथा लड़के का सामाजिक स्तर क्या था। यदि परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल अभियुक्त ही नहीं बल्कि अभियोक्त्री भी समान रूप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

से इच्छुक थी, तो ऐसे मामले में अपराध को स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने लैंगिक सम्भोग स्थापित करने से पूर्व अभियोक्त्री से विवाह करने का वचन दिया हो और उस आश्वासन के कारण अभियोक्त्री ने इसके लिए अनुमति दी हो। बल्कि इस मामले में अभियोक्त्री ने स्वयं अपीलार्थी को 7-8 बार उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाने की अनुमति दी और उसके पश्चात अभियुक्त ने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया। मामले का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि वास्तव में अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से विवाह का वादा किया होता, तो अभियोक्त्री को बोधार सिंह (अभी.सा.-14) से विवाह नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे इस प्रयोजन के लिए अपीलार्थी पर ही आग्रह करना चाहिए था। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि जब अभियोक्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया, तभी उसने अपीलार्थी से संपर्क किया और उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया। उस समय भी अपीलार्थी ने उससे विवाह करने का कोई वादा नहीं किया, बल्कि केवल इतना कहा कि यदि उसका पति उसे नहीं रखेगा तो वह उसे अपने पास रख लेगा। यहाँ भी अभियोक्त्री ने अपीलार्थी से विवाह करने के लिए नहीं कहा और बिना किसी वैवाहिक वचन के ही उसने गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के बाद भी उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाए रखे। अभियोक्त्री ने कहीं भी यह नहीं कहा कि बच्चे के जन्म के बाद अपीलार्थी ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया। उसने केवल इतना कहा है कि गाँव में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें उसे उस व्यक्ति के पास जाने के लिए कहा गया जिसके माध्यम से वह गर्भवती हुई थी, और जब वह वहाँ गई तो उसने तथा उसके माता-पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के लिए यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी की ओर से अभियोक्त्री से विवाह करने का कोई वचन दिया गया था या विवाह के वादे पर उसके साथ लैंगिक सम्भोग बनाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अतः संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना शिकायत पंजीबद्ध कराने में अत्यधिक विलंब किया गया है और अभियोजन का अधिकांश भाग केवल अभियोक्त्री के अविश्वसनीय आचरण पर आधारित है। ऊपर विस्तार से वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्ध को कायम नहीं जा सकता।

फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक **27.10.2007** को पारित वह निर्णय एवं आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया था, अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायधीश

-000-

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur